न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण, जिला ब्यावर

पीठासीन अधिकारी :— ज्योति पटेल, आर.जे.एस

सीआईएस संख्या (CIS No.) :— 735/2024

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :— 199/2015, पुलिस थाना—जैतारण।

सी.एन.आर नं. :— RJBE060012792024

अभियोगी :

राजस्थान राज्य।

बनाम

अभियुक्तगण :

01. मनोहरराम पुत्र केवलराम, निवासी निम्बोल, जैतारण, जिला ब्यावर,

02. बलवीर चौहान उर्फ बीरबल पुत्र चम्पाराम, निवासी जसवंताबाद, मेड़ता सिटी, नागौर,

03. सवाईराम पुत्र हापुराम, निवासी निम्बोल, जैतारण, जिला ब्यावर,

04. पटेलराम पुत्र श्रीराम बावरी, निवासी बालून्दियों की ढाणी, निम्बोल, जैतारण, जिला ब्यावर।

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860</u>

उपस्थिति :

1. विद्वान् अभियोजन अधिकारी, — वास्ते राज्य।
2. श्री सुनिल सेन, विद्वान अधिवक्ता— वास्ते अभियुक्तगण।

क्र.सं.	स्तर	दिनाँक
1.	प्रसंज्ञान	13.08.2024
2.	आरोप विरचन	13.08.2024
3.	साक्ष्य अभियोजन समाप्त	27.02.2026
4.	बयान मुलजिम	16.03.2026
5.	बहस अंतिम सुनी	27.04.2026
6.	निर्णय	04.05.2026

निर्णय   दिनाँक :04.05.2026

01. इस प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना जैतारण की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण मनोहरराम, सवाईराम, बलवीर चौहान उर्फ बीरबल व पटेलराम के विरूद्व आरोप पत्र अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करने पर हुआ।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.04.2024 को प्रार्थी रमेशचन्द्र पुत्र बिरमाराम, निवासी खेजड़ली कलां, पीएस लूणी, जिला जोधपुर ने पुलिस थाना जैतारण में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह पेशे से ड्राइवर है। दिनांक 28.04.2024 को रात 8 बजे गाड़ी नंबर आर. जे. 19 जी.एच 3797 आईसर ट्रक, जिसमें उसने जयपुर लि. Hevels India Ltd. के.बि. 5527067168 28. 04.2024 के 60 नग एसी के जिसकी जी.आर. 2425469649 परनामी लेजिस्टिक इण्डिया प्रा.लि. के द्वारा जोधपुर की ओर रवाना हुआ जयपुर से रवाना होने के बाद मोगलियावास बायपास पर खाना खाने हेतु रूका। वहां चैक करने पर गाड़ी का त्रिपाल लगा हुआ माल सुरक्षित था, फिर वहां से रवाना होने पर जैतारण व बिलाड़ा के बीच एक पिकअप, जो उसकी गाड़ी का पीछा कर रही थी, उसमें 5–6 व्यक्ति थे। वह खारिया मीठापुर के निकट आईजी होटल एण्ड रेस्टोरेंट पर सुबह 3 बजे चाय पीने के लिए रूका तो गाड़ी चैक करने पर मालूम हुआ गाड़ी का त्रिपाल 2–3 जगह से फटा हुआ मिला व 10 नग एसी के चोरी किए हुए पाए गए। 10 एसी आउटडोर व 5 इण्डोर एसी चोरी किए हुए पाये गये। चलती गाड़ी पर से ही माल 10 नग एसी के चोरी किए हुए पाए गए। खारिया मीठापुर गाड़ी रूकने पर व्यक्ति पिकअप के साथ भाग गये, फिर उसने उस समय 112 नम्बर पर फोन कर इसकी जानकारी दी, इस दौरान माल चोरी की सूचना ट्रान्सपोर्टर व ट्रक मालिक को भी दी गयी और एनएच वाले भी आकर चैक कर गये थे उक्त चोरी की घटना एनएच 112 के सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड है। 10 नग एसी का मूल्य करीब 3,23,939/–रूपये है..........इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना जैतारण में मुकदमा सं. 199/2024 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद संपूर्ण अनुसंधान अभियुक्त मनोहरराम, सवाईराम, बलवीर चौहान उर्फ बीरबल व पटेलराम जगदीश के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर, अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन व समझकर अपराध व आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. **साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन की ओर से गवाहान** पी.डब्ल्यू. 01 रामसिंह राजपुरोहित, पी.डब्ल्यू. 02 महेन्द्र, पी.डब्ल्यू. 03 विकास, पी.डब्ल्यू. 04 मनोहरलाल, पी.डब्ल्यू. 05 महेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू. 06 रमेशचंद्र, पी.डब्ल्यू. 07 सुरेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू. 08 रामकिशन, पी.डब्ल्यू. 09 ज्वालाप्रसाद, पी.डब्ल्यू. 10 कैलाशचंद, पी. डब्ल्यू. 11 कैलाशचंद, पी.डब्ल्यू. 12 जगवेन्द्र सिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

05. **अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेज़ी साक्ष्य** में प्रदर्श पी 01 नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी 02 नक्शा मौका फर्द बरामदगी स्थल, प्रदर्श पी 03. फर्द जब्ती पिकअप, प्रदर्श पी. 04 फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त सवाईराम, प्रदर्श पी 05 फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त पटेलराम, प्रदर्श पी 06 फर्द जब्ती बरामदगी इन्डोर एसी अभियुक्त पटेलराम, प्रदर्श 06 ए फर्द बरामदगी इन्डोर एसी नक्शा मौका, प्रदर्श पी 07 फर्द जब्ती बरामदगी इन्डोर एसी बनिशानदेही अभियुक्त सवाईराम, प्रदर्श 07 ए फर्द जब्ती इनडोर एसी नक्शा मौका एवं नजरी निरीक्षण, प्रदर्श पी. 08 फर्द निरीक्षण तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल अभियुक्त सवाईराम, प्रदर्श पी 9 फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त मनोहर, प्रदर्श पी. 10 फर्द निरीक्षण तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल अभियुक्त मनोहर, प्रदर्श पी. 11 फर्द निरीक्षण तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल अभियुक्त बलवीर, प्रदर्श पी. 12 फर्द बरामदगी कार्टून एसी इन्डोर बनिशानदेही अभियुक्त केवलराम, प्रदर्श पी. 13 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी. 14 लगायत 17 ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा दिया गया बिल, प्रदर्श पी. 18 बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी रमेशचन्द्र, प्रदर्श पी. 19 फर्द निरीक्षण तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल अभियुक्त सवाईराम, को प्रदर्शित करवाया।

06. अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहों द्वारा किये गये बयानों को अस्वीकार करते हुए यह कथन किये हैं कि गवाह झूठ बोलते हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

07. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने कथन किए कि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा चलती ट्रक से त्रिपाल फाड़कर एफआईआर अनुसार एसी इनडोर व आउटडोर चोरी करना संदेह से परे साबित है। अभियोजन साक्षियों ने अखण्डनीय साक्ष्य दी है जिससे आरोपित अपराध की पुष्टि होती है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

08. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किए कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों की साक्ष्य में गंभीर प्रकृति का विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में चोरी हुई विषयवस्तुओं को व अन्य प्रदर्शित दस्तावेजों को संदेह से परे साबित नहीं किया है। अभियुक्तगण को रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

09. हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या :–

01. ''क्या अभियुक्तगण मनोहरराम, सवाईराम, बलवीर चौहान उर्फ बीरबल, पटेलराम ने दिनांक 28.04.2024 को रात्रि में 08 बजे जब परिवादी हेवलस इंडिया लिमिटेड जयपुर से आईसर ट्रक नंबर 3797 में 60 नग एसी लेकर जयपुर रवाना हुआ तब जैतारण व बिलाड़ा के बीच एक पिकअप में सवार होकर सुबह 03 बजे से पूर्व चलती गाड़ी में से 10 एसी आउटडोर व 05 इनडोर एसी बेईमानी से चोरी कर ले गए एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया?'

02. यदि हाँ तो अभियुक्तगण किस दण्ड/आदेश के दायी होंगे?

10. उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य विवेचन करें तो **अभियोजन साक्षी पीडब्ल्यू 01 रामसिंह राजपुरोहित** ने मुख्य परीक्षा में दिनांक30.04.2024 को पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 01 बनाया जाना व स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। पी.डब्ल्यू. 01 ने मुख्य परीक्षा में यह नहीं बताया कि प्रदर्श पी. 01 किस बाबत व कहां का बनाया गया। अब अगर जिरह की बात करें तो जिरह में पी.डब्ल्यू. 01 ने बताया कि प्रदर्श पी. 01 में कौनसी दिशा में कौनसी दुकान आई हुई है उसे जानकारी नहीं है, नक्शा मौका

02 बजे दिन में बनाया गया, नक्शा मौका प्रदर्श पी. 01 में चोरी किस जगह हुई उसे नहीं पता तथा नक्शा मौका व हालात मौका में वह नहीं समझता इत्यादि बताया पी. डब्ल्यू. 01 के उपर्युक्त उक्त कथनों से घटनास्थल प्रदर्श पी. 01 की विषयवस्तु व प्रदर्श पी. 01 बनाए जाने का स्थान, समय जो कि प्रदर्श पी. 01 में 04 बजे का है वह पी. डब्ल्यू. 01 दोपहर 02 बजे बताता है के क्रम में पी.डब्ल्यू. 01 की साक्ष्य, पुलिस अनुसंधान पर व प्रदर्श पी. 01 पर संशय उत्पन्न होता है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 महेन्द्र अभियुक्त पटेलराम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 05, नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी. 02, फर्द जब्ती पिकअप प्रदर्श पी. 03 एवं फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त सवाईराम प्रदर्श पी. 04 का साक्षी है जिसने उक्त फर्दें बनाए जाना मुख्य परीक्षा में कथित किया। जिरह में पी. डब्ल्यू. 02 ने प्रदर्श पी. 04 में मुलजिम सवाईराम व प्रदर्श पी. 05 में मुलजिम पटेलराम ने कौनसे कपड़े पहने हुए थे याद नहीं होना, गिरफ्तारी की सूचना किसे दी याद नहीं होना, प्रदर्श पी. 02 पर स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं होना, प्रदर्श पी. 02 खुला स्थान होना, प्रदर्श पी. 03 बनाते समय स्वतंत्र गवाह नहीं होना, पिकअप के अगले पिछले हिस्से पर कितनी लाईटे थी, बंपर लगा था या नहीं, पिकअप कौनसे कलर की थी याद नही होना इत्यादि बताया। इस प्रकार पी.डब्ल्यू. 02 ने मुख्य परीक्षा में प्रदर्श पी. 02 लगायत 05 मार्क अंकित तो करवाया लेकिन इनकी विषयवस्तु को जिरह में संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है जिस कारण पी.डब्ल्यू. 02 के कथनों से भी अभियोजन कथानक संशयपूर्ण प्रतीत होता है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 03 विकास ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 14.06. 2025 को पुलिस थाना जैतारण में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित होना बताकर प्रदर्श पी. 04 लगायत प्रदर्श पी. 08 मार्क अंकित करवा फर्द गिरफ्तारी, फर्द बरामदगी नक्शा मौका अपने समक्ष बनाए जाने के क्रम में कथन किए। जिरह में पी.डब्ल्यू. 03 ने प्रदर्श पी. 04 व प्रदर्श पी. 05 में अभियुक्त ने कौनसे रंग के कपड़े पहने थे याद नहीं होना, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 04 व प्रदर्श पी. 05 में स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाना, प्रदर्श पी. 08 हाईवे के आसपास का स्थल होना जिसक आसपास में दुकानें बनी होना, स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं होना, प्रदर्श पी. 08 में वर्णित दुकानों के नाम याद नहीं होना, प्रदर्श पी. 06 में वर्णित रहवासीय मकान कच्चा बना होना जहां कोई भी आ जा सकना, जिसके स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं लेना,

प्रदर्श पी. 07 में जब्त एसी के मॉडल नंबर, कंपनी, साईज, जब्ती की तारीख याद नहीं होना इत्यादि बताया। इस प्रकार पी.डब्ल्यू. 03 ने भी पी.डब्ल्यू. 01 की भांति ही दस्तावेजों के मुख्य परीक्षण में प्रदर्शित करवा साक्ष्य में ग्राह्य तो करवाया लेकिन जिरह में उक्त दस्तावेज साक्ष्य की विषयवस्तु बाबत याद नहीं होना बताकर इतिश्री कर ली व अनुसंधान व उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को साक्ष्य बनाया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 04 मनोहरलाल ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 03.06.2024 को पुलिस थाना जैतारण में कांस्टेबल के पद पर तैनात होना बताकर अभियुक्त मनोहर का स्वयं व कांस्टेबल महेन्द्र के समक्ष जरिये फर्द प्रदर्श पी. 09 गिरफ्तार करना, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 10 व प्रदर्श पी. 11 बनना बताया लेकिन जिरह में प्रदर्श पी. 09 के समय अभियुक्त मनोहर ने कैसे कपड़े पहन रखे थे याद नहीं होना, गिरफ्तारी की सूचना किसे दी, किस जगह का तस्दीक घटनास्थल देखा, नक्शा मौका पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में स्थिति क्या थी याद नहीं होना। प्रदर्श पी. 11 में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या है याद नहीं होना बताकर मुख्य परीक्षण में प्रदर्शित दस्तावेजात की विषयवस्तु को साबित नहीं कर सका साथ ही प्रदर्श पी. 10 जो कि 06.00 पी.एम. पर बनाया जाना व प्रदर्श पी. 11, 07.00 ए.एम. पर बनाया जाना अंकित है को 02.30 पी.एम. पर बनाया जाना जिरह में बताकर मौके पर कार्यवाही किया जाना साथ ही पी.डब्ल्यू. 04 के समक्ष कार्यवाही किये जाने के क्रम में पुलिस अनुसंधान को भी संशयपूर्ण बनाया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 05 महेन्द्र कुमार ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 03.06.2024 को पुलिस थाना जैतारण में कांस्टेबल के पद पर तैनात होना बताकर प्रदर्श पी. 10, प्रदर्श पी.11, प्रदर्श पी.12 व प्रदर्श पी. 03 अनुसंधान अधिकारी के द्वारा बनाया जाना जिस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। जिरह में पी.डब्ल्यू. 05 ने प्रदर्श पी. 10 में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या है याद नहीं होना, प्रदर्श पी. 11 में क्या लिखा है याद नहीं होना, प्रदर्श पी. 12 खुला स्थान होना, प्रदर्श पी. 03 में जब्त पिकअप के इंजन नंबर, चेसिस नंबर नहीं लिखे होना इत्यादि बताकर अन्य साक्षियों की भांति ही प्रदर्श पी. 10 लगायत प्रदर्श पी. 12 व प्रदर्श पी. 03 को संशय से परे साबित नहीं किया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 06 रमेशचंद परिवादी वाहन चालक है जिसने मुख्य परीक्षा तहरीरी रिपोर्ट में अंकित कथनानुसार कथन कर प्रदर्श पी. 01, प्रदर्श पी.

13 लगायत प्रदर्श पी. 17 में प्रदर्श मार्क अंकित करवाये। पी.डब्ल्यू. 06 ने मुख्य परीक्षा में 10 एसी इनडोर व आउटडोर यूनिट चोरी होना बताया जबकि एफआईआर में 10 आउटडोर यूनिट व 05 इनडोर यूनिट चोरी होना अंकित किया है जो कि चोरी के सामान बाबत विरोधाभास उत्पन्न करता है। पी.डब्ल्यू. 06 ने जिरह में एफआईआर स्वयं नहीं लिखना, स्वयं की कलमी नहीं होना, प्रदर्श पी. 14 लगायत प्रदर्श पी. 17 में क्या लिखा है पता नहीं होना, प्रदर्श पी. 01 स्वयं के समक्ष नहीं बनाना, 08 बजे जयपुर से रवाना होने बाबत दस्तावेज नहीं होना, जयपुर में कौनसा व्यक्ति आया उसका हुलिया कैसा था पता नहीं होना, स्वयं का डीएल पत्रावली में नहीं होना, जयपुर से जोधपुर की सेल टैक्स की पर्ची नहीं होना, कार में कितने एसी थे पता नहीं होना इत्यादि बताकर प्रकरण के मूल आधार एफआईआर, चोरी की विषयवस्तु, उक्त विषयवस्तु प्राप्त करने, रवाना होना व उक्त वाहन का चालक होने बाबत तथ्यों पर ही संशय उत्पन्न कर अभियोजन कथानक व पुलिस अनुसंधान को संशयपूर्ण बना दिया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 07 सुरेन्द्र कुमार ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 16.06.2024 को पुलिस थाना जैतारण में कांस्टेबल के पद पर तैनात होना बताकर निशादेही से प्रदर्श पी. 06, प्रदर्श पी. 07, प्रदर्श पी. 19 बनाया जाना बताया। जिरह में पी.डब्ल्यू. 07 ने मौका देखने की तारीख व समय याद नहीं होना, जब्त माल के व जप्तीस्थल के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज लिया हो तो याद नहीं होना, बरामदगी स्थल के पास आम रास्ते से लोगों का आवागमन होना, प्रदर्श पी. 02 लगायत प्रदर्श पी. 07 एवं प्रदर्श पी. 19 फर्दे कहां कहां तैयार की, जानकारी नहीं होना इत्यादि बताकर प्रदर्श पी. 02 लगायत प्रदर्श पी. 07 व प्रदर्श पी. 19 के साथ ही पुलिस कार्यवाही व अभियोजन कथानक पर संशय उत्पन्न किया है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 08 रामकिशन आरोप पत्र प्रस्तुत करने का साक्षी है जिसने साक्ष्य से मात्र आरोप पत्र प्रस्तुत करना साबित है न कि आरोपित अपराध।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 09 ज्वालाप्रसाद ने मुख्य परीक्षा में घटना बाबत कोई कथन नहीं किए व प्रदर्श पी. 01 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया व जिरह में प्रदर्श पी. 02 में क्या लिखा है पता नहीं होना बताकर अभियोजन कथानक की लेशमात्र भी ताईद नहीं की।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 10 कैलाशचंद्र प्रथम अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपने द्वारा किए अनुसंधान की मुख्य परीक्षा में ताईद की है लेकिन किसी के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित मानना नहीं बताया जिस कारण पी.डब्ल्यू. 10 के कथनों से भी अभियोजन कथानक की पूर्णतः ताईद नहीं होती।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 11 कैलाशचंद्र चाक एफआईआर का साक्षी है जिसके कथनों से मात्र एफआईआर करना साबित है न कि आरोपित अपराध।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 12 जगवेन्द्र सिंह भी अनुसंधान अधिकारी है जिसने मुख्य परीक्षा में अपने द्वारा किए गए अनुसंधान के क्रम मे कथन किए लेकिन किसी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया। जिरह में पी.डब्ल्यू. 12 ने प्रदर्श पी. 12 में बताए गए माल बाबत कोई बिल परिवादी द्वारा नहीं दिया जाना प्रदर्श 8, प्रदर्श 09, प्रदर्श 10, प्रदर्श 11 की तारीख व समय याद नहीं होना, गिरफ्तारी की सूचना किसको दी याद नहीं होना, साक्ष्य अधिनियम 27 की इत्तला थाने पर देना, स्वतंत्र गवाहान नहीं बनाना, प्रदर्श पी. 10 की दिशाओं में क्या क्या है याद नहीं होना। प्रदर्श पी. 08, प्रदर्श पी. 10 व 11 में अंकित दुकान वालों के बयान नहीं लेना, जब्ती स्थल के स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज नहीं लेना, जब्त माल की फोटोग्राफी नहीं करवाना, जब्त माल के स्वामित्व बाबत दस्तावेज नहीं होना, न ही माल की पहचान बाबत अंकन होना, पिकअप के इंजन नंबर, चेसिस नंबर याद नहीं होना इत्यादि बताकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व कार्यवाही को विश्वसनीय नहीं बना सका व दृढ़तापूर्वक कथन नहीं कर अपने अनुसंधान व अभियोजन कथानक पर ही गंभीर संशय उत्पन्न किया है।हस्तगत प्रकरण में बताए गए चोरी के माल के स्वामित्व बाबत कोई साक्षी परीक्षित नहीं हुआ जिससे भी अभियोजन कथानक पर संशय उत्पन्न होता है।

इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होने से अभियुक्तगण 01. मनोहरराम पुत्र केवलराम, 02. बलवीर चौहान उर्फ बीरबल पुत्र चम्पाराम, 03. सवाईराम पुत्र हापुराम, 04. पटेलराम पुत्र श्रीराम बावरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

11. अतः अभियुक्तगण 01. मनोहरराम पुत्र केवलराम, निवासी निम्बोल, जैतारण, जिला ब्यावर, 02. बलवीर चौहान उर्फ बीरबल पुत्र चम्पाराम, निवासी जसवंताबाद, मेड़ता सिटी, नागौर, 03. सवाईराम पुत्र हापुराम, निवासी निम्बोल, जैतारण, जिला ब्यावर, 04. पटेलराम पुत्र श्रीराम बावरी, निवासी बालून्दियों की ढाणी, निम्बोल, जैतारण, जिला ब्यावर को **अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं.** के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की पूर्व नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

12. अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437—A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 20,000/— रुपये का जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका इस आशय का पेश करें कि वे इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(ज्योति पटेल)

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर

13. निर्णय आज **दिनाँक 04.05.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रांकन, सुनाया गया।

(ज्योति पटेल)

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर